रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 13 जनवरी, 2005/23 पौष, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 1 जनवरी 2005

प्रेषित : प्रधान, ग्राम पंचायत चनौर,
विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा।

ज्ञापन :

संख्या : पंच-के०जी०आर०-ई(20) 1/91-10473-75.—श्री कृष्ण लाल, उप-प्रधान, ग्राम-पंचायत चनौर, विकास खण्ड प्रागपुर ने निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० शिमला-9 को शिकायत पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि आप द्वारा निर्माण का रास्ता कमलेहड़ में भारी अनियमितताएं की गई हैं।

उपरोक्त तथ्य की पुष्टि हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 6884, दिनांक 1-10-2003 के अन्तर्गत उक्त शिकायत पत्र खण्ड विकास अधिकारी, प्रागपुर को जांच हेतु प्रेषित किया गया जिसकी जांच रिपोर्ट उन्होंने अपने कार्यालय

के पत्र संख्या 2682, दिनांक 25 अगस्त, 2004 के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्रेषित की है जिसका अवलोकन करने पर निम्न तथ्य प्रकट हुए हैं :—

यह कि निर्माण रास्ता कमलेहड़ के लिये विधायक निधि योजना के अन्तर्गत मु0 60,000/- रु0 की राशि स्वीकृत हुई थी जिसमें से तीन किस्तों में मु0 50,000/- रु0 ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये जा चुके हैं जिसमें से दिनांक 8-10-2003 को श्री रमेश कुमार पंचायत सचिव द्वारा उक्त कार्य के रसीद पत्रों (मस्टररोल) बाउचर नं0 80, 81 व 95 के अनुसार मु0 44,990 रु0 इस कार्य पर दिनांक 30-9-2002 तक व्यय दर्शाया गया जबकि आपके द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, प्रागपुर को प्रस्तुत खर्च का विवरण अनुसार निर्माण कार्य पर मु0 58,200/- रु0 का विवरण दर्शाया गया है। इस प्रकार आपके द्वारा मु0 60,000/- रु0 के अनुदान में से मु0 15010/- रु0 का दुरुपयोग करने का प्रयास किया गया पाया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (2) तथा हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 (1) (क) के अन्तर्गत मैं, हेम राज शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्रीमती उषा देवी, प्रधान ग्राम पंचायत चनौर, विकास खण्ड प्रागपुर को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं और यह आदेश देता हूं कि आपका उत्तर इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी, प्रागपुर के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपको अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है तथा मामले में आगामी कार्यवाही करने हेतु यह कार्यालय विवश होगा।

संलग्नक : 4

हेम राज शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला (हि0 प्र0)।

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Kullu, the 31st December, 2004

No. F. D. S (Lic) 17/93-II-7982-8023.—In continuation of this office notification No. FDS (Lic) 17-93-7524-84, dated 20-11-2004 which published in Extra-Ordinary Rajpatra dated 29-11-2004 and in exercise of the powers conferred upon me under Clause 3 (*i*) (*e*) of the H. P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Hans Raj Chauhan, District Magistrate, Kullu District Kullu do hereby order that the rates so fixed *vide* notification under reference shall continue to reman in force for a further period of two months from the date of its publication in the Official Gazette.

HANS RAJ CHAUHAN,
District Magistrate,
Kullu, District Kullu (H.P.).

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन.....

क्रमांक पी0 सी0 एन0-एस0 एम 0आर0-2004.—यह कि श्री जागर सिंह सदस्य, वार्ड 0 नं0 4—गैहल, पंचायत समिति संगड़ाह, जिला सिरमौर ने दिनांक 13-12-2004 को जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित

होकर हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ण) के अन्तर्गत अयोग्यता के दृष्टिगत स्वयं ही अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया है।

अतः मैं, एम0 एल0 शर्मा (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0) हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 (3) तथा हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 (2) के अन्तर्गत कथित सदस्य श्री जागर सिंह का त्याग-पत्र स्वीकार कर पंचायत समिति संगड़ाह के वार्ड 0 नं04—गैहल के सदस्य पद को उक्त अधिनियम की धारा 131 (2) के अन्तर्गत रिक्त घोषित करता हूं।

एम0 एल0 शर्मा,
उपायुक्त,
जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0)।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन, 6 जनवरी, 2005

क्रमांक पी0 सी0 एन-एस0 एम0 प्रार-2004-51-59.—यह कि श्रीमती उमा देवी, सदस्या, वार्ड नं0 3-कमनाड़ी, ग्राम पंचायत गैहल, विकास खण्ड संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का त्याग-पत्र हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ण) के अन्तर्गत अयोग्यता के दृष्टिगत दिनांक 14-12-2004 को अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है।

अतः मैं, एम0 एल0 नेगी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश, हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1977 के नियम 135 (2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 130 (2) के अन्तर्गत कथित श्रीमती उमा देवी सदस्या का त्याग-पत्र स्वीकार कर उक्त पद को रिक्त घोषित करता हूं।

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन-173 001, 6 जनवरी, 2005

सं0 पी0 एस0-2-विविध-128/79-35-42.—यह कि श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री सालकू, ग्राम सताहन, डा0 सांगना, तहसील संगडाह, जिला सिरमौर ने प्रधान, ग्राम पंचायत सताहन के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की है कि उसके विरुद्ध चलाया गया मुकद्दमा के फैसला दिनांक 21-4-2001 के अनुसार उस पर ग्राम पंचायत सताहन ने रु0 250 रुपये जुर्माना लगाया गया था। श्री चन्दन सिंह ने जुर्माने से सम्बन्धित मुकद्दमा के रिकार्ड की प्रतिलिपियां लेने हेतु प्रधान, ग्राम पंचायत को आवेदन दिया था जो कि ग्राम के सदस्यों जैसे कि श्री रणसिंह तथा सत्या देवी, ग्राम सताहन के सामने प्रधान द्वारा आवेदन-पत्र लेने से इन्कार करते हुए बाहर चले गये इसके पश्चात् श्री चन्दन सिंह ने खण्ड विकास अधिकारी, संगडाह तथा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष मुकद्दमे से सम्बन्धित रिकार्ड लेने हेतु प्रेषित किये लेकिन अधोहस्ताक्षरी के आदेश देने के बावजूद भी उसे

रिकार्ड दिये जाने से प्रधान द्वारा इन्कार किया है । आवेदक द्वारा मांगे गये प्रतिलिपियों का विवरण निम्न है :—

1. नकल फैसला
2. मुकद्दमा किस्म
3. ब्यानात गवाहान
4. हुक्म सजा व जुर्माना
5. फैसला में हाजिर सदस्यों के नाम

यह कि उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन द्वारा कारण बताओ नोटिस सं0 पी0 एस0-2-विविध-128/79-12325-27, दिनांक 3-1-2004 प्रधान को जारी किया गया । तत्पश्चात् इस कार्यालय के पत्र सं0 262-63, दिनांक 23-1-2004, 3-2-2004 तथा 1-3-2004 श्री चन्दन सिंह के खिलाफ याचिका फाईल सहित अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हुए तथा अपने ब्यान में बताया था कि श्री संजनू व तुन्गा के ग्राम पंचायत सताहन में श्री चन्दन सिंह द्वारा उनका रास्ता रोकने बारे एक दावा दायर किया गया था । दावा प्राप्त होने पर पंचायत द्वारा श्री चन्दन सिंह को नोटिस जारी किये गये । नोटिस में निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुआ । दोबारा भी नोटिस जारी किया गया नोटिस को एक प्रति इसके घर चस्पां की गई । इसके बावजूद भी वह उपस्थित नहीं आया । इसके बाद की कार्यवाही के बारे में प्रधान द्वारा अपने रिकार्ड देखे बिना बतलाने में असमर्थता व्यक्त की । अलबता इस मामले में रु0 250 रुपये जुर्माना लगाया गया था जो श्री चन्दन सिंह ने आज तक जमा नहीं करवाया है । अन्तिम आदेश/फैसला की एक प्रति पंचायत द्वारा माननीय सब-जज, नाहन को भेजी गई । लेकिन श्री चन्दन सिंह को नोटिस मिलने तथा नोटिस की प्रति घर पर चस्पां न किये जाने बारे अपने ब्यान में बता रहा है । इसके उपरान्त श्री तुलसी राम, प्रधान दिनांक 8-3-2003 को हाजिर हुए तथा प्रधान द्वारा नकल न देने बारे कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि अपने उत्तर में यह कहा कि यह मामला विकास कार्यों से सम्बन्धित है । श्री चन्दन सिंह शिकायतकर्ता ने दिनांक 9-9-2004 को पुनः एक शिकायत अभी तक नकलें प्राप्त न होने बारे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की है । इसके उपरान्त इस कार्यालय द्वारा नोटिस दिनांक 6-1-2004 उपस्थित होने हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये हैं । इसके पश्चात् प्रधान ने दिनांक 20-11-2004 को लिखित रूप से जवाब इस कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए सूचित किया है कि श्री चन्दन सिंह असत्य, गलत शिकायतें करने का आदि है तथा चन्दन सिंह ने उनके पास मुकद्दमे से सम्बन्धित नकलें प्राप्त करने बारे कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि आप जानबूझ कर कथित व्यक्ति को तंग व परेशान कर रहे हैं । अतः आप प्रधान जैसे गरिमामय पद पर आसीन रहने योग्य नहीं हैं । इसके अतिरिक्त आप उच्च अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना जानबूझ कर न करने के दोषी पाये गये हैं ।

अतः मैं, एम0 एस0 नेगी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश, हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 व हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री तुलसी राम, प्रधान, ग्राम पंचायत सताहन, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर को उपरोक्त कृत्य के कारण उक्त नियमों के नियम 142(2) के अन्तर्गत तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करता हूं । उन्हें यह भी आदेश देता हूं कि यदि उनके पास ग्राम पंचायत का कोई भी रिकार्ड, धन या अन्य सम्पत्ति हो तो उसे तुरन्त पंचायत सचिव को सौंपना सुनिश्चित करें तथा आगामी आदेशों तक उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सताहन, विकास खण्ड संगडाह, उप-प्रधान की मोहर का प्रयोग करते हुए प्रधान पद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

एम0 एस0 नेगी,
जिला पंचायत अधिकारी,
जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश ।

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।